परियोजना - कार्य

"महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा का योगदान"

एम. ए. चतुर्थ सेमेस्टेर राजनीति विज्ञान में प्रायोगिक कार्य हेतु प्रस्तुत लघु शोध प्रतिवेदन

सत्र :- 2024-2025

वागिश कुमार

निर्देशक

डॉ. आनंद कुमार

(अतिथि व्याख्याता)

राजनीति विज्ञान विभाग

शा. शहीद कौशल यादव महा. गुण्डरदेही

जिला–बालोद(छ.ग.)

प्रस्तुतकर्ता

वागिश कुमार

एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर

राजनीति विज्ञान विभाग

अनुकमांक – 2410459033

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविघालय गुण्डरदेही
जिला – बालोद(छ.ग.)

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **वागिश कुमार** ने शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.) में सन् 2024–2025 में प्रस्तुत लघु शोध प्रतिवेदन '' **महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा का योगदान** ''के विशेष संदर्भ में **एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर** (राजनीति विज्ञान) का छात्र का स्वतः लिखित मौलिक रचना है। यह लेखन कार्य मेरे निर्देशन में संपादित किया गया है।

प्राचार्य

डॉ. चंदना बोस
शा. शहीद कौशल यादव
महा. गुण्डदेही
जिला–बालोद(छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Distt.- Balod (C.G.)

Anand Kumar

विभागाध्यक्ष

डॉ. आनंद कुमार
(अतिथि व्याख्याता)
राजनीति विज्ञान विभाग
शा. शहीद कौशल यादव महा.
गुण्डदेही जिला–बालोद(छ.ग.)

विभागाध्यक्ष–राजनीति विज्ञान विभाग
शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय
गुण्डरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.)

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं घोषणा करता हूँ, कि **मैं " महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा का योगदान "** में शीर्षक की यह – प्रोजेक्ट रिपोर्ट शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.) के **एम. ए. राजनीति विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर** परीक्षा हेतु सत्र 2024–2025, **डॉ. आनंद कुमार (अतिथि व्याख्याता)** के मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया है।

वागिश कुमार

प्रस्तुतकर्ता

वागिश कुमार

स्थान– गुण्डरदेही

दिनांक –

एम. ए. चतुर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान
शा. शहीद कौशल यादव महा. गुण्डरदेही
जिला–बालोद(छ.ग.)

विषय सूची

क.	पाठ्यक्रम
1	प्रस्तावना
2	उद्देश्य
3	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
4	मनरेगा कार्यक्रम (परिचय)
5	मनरेगा कार्यक्रम का विकास
6	मनरेगा कार्यक्रम में महिलाओ की सहभागिता
7	मनरेगा में महिला सशक्तिकरण
8	मनरेगा मे महिला श्रमिको पर प्रभाव
9	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओ का अंतिम आय स्रोत
10	मनरेगा की उपलब्धियां
11	समस्याएं
12	समाधान
13	सुझाव
14	कोविड–19 महामारी से प्रभाव
15	निष्कर्ष
16	सन्दर्भ ग्रंथ

प्रस्तावना

भारत में बढ़ती श्रमशक्ति के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भारत के निति निर्माताओ के लिए चिंता का विषय रहा है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पुर्नगठित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, शुरु में 02/02/2006 से भारत में 200 चयनित पिछड़े जिलो में लागु किया गया था। और 2008 में लगभग ये पुरे भारत में लागु हो गया जो कम से कम 100 दिनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है। बेरोजगार ग्रामीण गरीबो को अकुशल मजदूरी रोजगार मंरेगा की अवधारणाएँ उपन्यास और अभिनव है। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए न केवल सक्षम, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के साथ – साथ लोगो की सक्रीय भागीदारी की आवश्यकता है। बल्कि इस रोजगार सृजन की बुनयादी ढांचे के निर्माण के पहल के लाभ के लिए समन्तिवत दृष्टिकोण भी है। जो ग्रामीण क्षेत्रो में पहले से संचालित विभिन्न विकास उन्मुख योजनायो के साथ है। ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के कम से कम 100 दिनों की मजदूरी गारंटी को एक वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित करता है। जिसके व्यस्क सदस्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल मनूअल श्रम प्रदान करने के इच्छुक है। और ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अवसर प्रदान करना सामिल है । जिससे रोजगार की तलाश क्षेत्रो में पलायन की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनितिक प्रगति को जानने के लिए वहाँ के महिलाओ के स्थिति एवं स्तर का आंकलन करना अतिआवश्यक है। समाज में महिअलाओ की भूमिका महतवपूर्ण है। महिलाओ के विकास के मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी भी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

उद्देश्य

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार (जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते है) को एक वित्त वर्ष में

मनरेगा कार्यक्रम का परिचय

देश के ग्रामीण इलाको में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर. ई.जी.) या महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक महत्वाकांक्षी व विकास का पहल का एक अभिनव प्रयोग हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा /MANREGA)भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया।

यह अधिनियम पहली बार 1991 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अंततः इसे संसद में स्वीकार कर लिया गया और भारत के 625 जिलों में इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया।

मनरेगा पहला ऐसा केंद्रीय अधिनियम है जिसमें योजनाएं बनाने उन्हे पास करने और उनके क्रियान्वयन संबंधी अधिकार पंचायतों को दिए गए है।

योजना अमलीकरण की मुख्य एजेंसियों में ग्राम पंचायत समिति और जिला पंचायत है। पंचायत सचिव एब्लाक व जिला समन्यक इस योजना में अमलीकरण के प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी हैं।

मनरेगा कार्यक्रम का विकास ग्रामीण विकास के विषय में पिछले कुछ दशको से भारतीय नीतिकारो और लोगो को अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह रहा है। कि विकास सम्बधि मुद्दों ने ग्रामीण जनता की जागरूकता में वृद्धि किया है क्युकी ग्रामीण विकास के बिना ग्रामीण क्षेत्रो को बेहतर जीवन उपलब्ध नही कराया जा सकता । इसके लिए ग्रामीण सरंचना में आर्थिक व् सामाजिक दोनों ही पक्षों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए क्रम बद्ध विकास की आवश्यकता है। 1950 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण समुदायो के माध्यम से ग्रामीण विकास की शुरुवात की गई।

जिसमे जनसहभागिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में आधारभूत

महिला मेटो की भागीदारी

राज्य के 28 जिलों में से 24 जिलों में महिला मेटो की संख्या 50% से अधिक हैं।

जिला का नाम	महिला मेटो की संख्या % में
बलौदा बाज़ार – भांठापारा	82
बिलासपुर	79
कोरबा	72
बलरामपुर – रामानुजगंज	70
महासमुन्द	66
गौरेला –पेंड्रा –मरवाही	65
दुर्ग	63
रायपुर	61
रायगढ़	60
बीजापुर – मुंगेली - सूरजपुर	59
बस्तर – राजनांदगाव	58
कोंडागांव	56
बालोद-जांजगीर-कोरिया-सुकमा	55
बेमेतरा	54
कबीरधाम	52
कांकेर – सरगुजा	51
जशपुर	50

मनरेगा में महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तीकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तीकरण है।

का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने देश में कई महिलाओं के लिए काम (रोजगार) को सुलभ और स्वीकार्य बना दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओ का अंतिम आय स्रोत

मनरेगा भारतीय महिलाओं के लिए अंतिम और एकमात्र आय का सहारा है भले ही यह ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कम मजदूरी प्रदान करता है लेकिन यह उन महिलाओं के लिए आय का अवसर और स्रोत है, जिनके पास ग्रामीण भारत में आय के कुछ और साधन नहीं हैं। साथ ही जिन्हें काम के लिए गांव से बाहर जाने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

श्वीमेन एट वर्क 3.0श हमारी दूसरी सीरीज हैं, जहां हम भारत की महिला श्रम शक्ति में महिलाओं के लिए कोविड 19 के बाद की वास्तविकता के संदर्भमें चर्चा कर रहे हैं।। पहले भाग में यह दिखाया गया कि 2020–21 में महिलाओं के श्रम बल में वृद्धि हो सकती है क्योंकि नौकरियों और आय के लिए जरूरतमंद महिलाएं खराब गुणवत्ता वाली कम वेतन की नौकरियां भी ले रही हैं। अगले भाग में यह देखा जाएगा कि नौकरियों का बढ़ता डिजिटलीकरण महिलाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है।

चित्र–मनरेगा कार्य स्थल ग्राम बोदल में किया सर्वेक्षण एवं शोध कार्य

मनरेगा की उपलब्धियां

- मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। वर्ष 2022–23 के आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वर्ष 2023–24 में मनरेगा (MGNREGA) योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। 2023–24 के दौरान 24 दिसंबर तक, मनरेगा के तहत कुल 238.62 करोड़ व्यक्ति–दिवस थे, जिसमें महिला व्यक्ति–दिवसों का आंकड़ा 59.25: था, जो पिछले 10 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है. इसके साथ ही, 99.12: भुगतान आदेश 15 दिनों के भीतर जारी किए गए हैं, जिससे समय पर भुगतान में सुधार हुआ है।
- एक अध्ययन यह भी सामने आया जिसके अनुसार मनरेगा ने कोविड के समय जब शहरों में रोजगार में संलग्न लोग जब गांवों की तरफ लौटे तो उनके जीविकोपार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह मनरेगा ने लॉकडाउन के समय हुए आय के नुकसान के 20–80% तक हिस्से को भरने का काम किया था।
- आँकड़ों के अनुसार, कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्षों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किये गए। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए यकीनन ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है।
- आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से 56 प्रतिशत महिलाओं के लिये था। मनरेगा द्वारा उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

- ऐसे कार्य हो जो मशीन कि सहयता से किये जाते है उन कार्यो पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण श्रमिको को अधिक से अधिक रोजगार मिले ।

कोविड–19 महामारी से प्रभाव

कोविड 19 वैश्विक महामारी ने विश्व के विभिन्न देशों में संकट पूर्ण स्थिति पैदा कर दी है , जिसके फलस्वरूप विभिन्न देशों ने लॉकडाउन किया। भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च, 2020 से प्रभावी हुआ। लॉकडाउन के दौरान आवश्य वस्तु एवम सेवाएं प्रदान करने वाली प्रतिष्ठानों तथा कृ षिग्रत प्राचलनो को छोड़ कर, सभी प्रतिष्ठान बंद रहा।

आवश्य वस्तुओ में खाद्य पदार्थ दवाइयां और बिजली शामिल है। आवश्य सेवाओ में बैकिंग सेवा, दु संचार सेवा और भेषज संबंध सेवाए शामिल हैं।

सभी वस्तुओं (आवश्य एवम अन्य) की परिवहन व्यवस्था चालू रही किंतु, एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई जब भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरों आए श्रमिक लॉकडाउन की घोषणा के दिन से ही अपने गांवों की ओर लौटने लगे। देश के विभिन्न भागों से घर लौट रहे श्रमिकों के फंसे रहने की खबरे आने लगी क्योंकि रेल और बस सेवाएं बंद थी। कुछ श्रमिक ने अपने गांवों तक पहुंचने के लिए कई कि. मी. तक की लंबी यात्रा की। इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

पूरे विश्व के समान भारत में भी लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए और अर्थव्यवस्था को आवश्य प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न उपाय किए है, जिसके मनरेगा योजना भी शामिल हैं

मनरेगा के तहत कई लोगों के लॉकडाउन के दौरान आवश्य अंतरिम व्यवस्था की गई। इस योजना से ऐसे ग्रामीण समुदाय को सहायता मिली जो बेहतर अवसर की तलाश में पलायन कर गए बहुत से मजदूरों के रोजगार के अभाव में वापस लौटने के कारण संकट पूर्ण स्थिति का सामना कर रहा

था। मार्च 2020 से 17 सितंबर 2020 की अवधि के दौरान मांग की अपेक्षा कुछ 99.8% परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को लागू किया ।

अंतरिम बजट 2024–25

मनरेगा में आवंटित राशि से केवल 25 दिन का ही रोजगार मिल पाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है की सरकार के अगले वित्त वर्ष में बकाया मजदूरी भी चुकानी है, जिसके बाद केवल 54,000 करोड़ रुपए उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024 में देश का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार योजना के लिए 86,000 करोड़ रूपए आवंटित किए है जो 2023–24 के लिए घोषित आवंटन से महत्वपूर्ण वृद्धि है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है की यह ग्रामीण रोजगार को पर्याप्त राहत देने में विफल रह सकता है। 2023–2024 के बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए 60,000 करोड़ रूपए आवंटित किए जो पंजीकृत ग्रामीण परिवारों में श्रमिकों को 100 दिनों के रोजगार के गारंटी का अधिकार देता हैं। यह छह साल में सबसे कम था। हालांकि संशोधित अनुमान बताते हैं कि कुल व्यय बढ़कर 80,000 करोड़ रूपए हो गया है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट के आवंटन से मेल खाता है।

संशोधित अनुमान यह भी बताते है कि 2023–24 के लिए मनरेगा के तहत बकाया भुगतान सहित कुल खर्च 99,514 करोड़ रुपए है। अकेले अवैतनिक बकाया राशि 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका मतलब है कि योजना को 16,656 करोड़ रूपए का शुद्ध घाटा हुआ है जबकि आवंटित धन का 100 प्रतिशत से पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

ग्रामीण श्रमिकों के साथ काम करने वाले संगठनों के गठबंधन, नरेगा संघर्ष मोर्चा के अपूर्व गुप्ता ने कहा कि 2023–24 में रोजगार प्रवृति को देखते हुए

अगले वित्तीय वर्ष में लंबित बकाया राशि लगभग 32,000 करोड़ रुपए हो जायेगी। मनरेगा मांग आधारित योजना है. मांग के आधार पर बजट आवंटन को बढ़ाना संभव है. राज्य से अगर और मांग आयी तो हम संसद से सप्लीमेंट्री डिमांड कर सकते है।

केंद्रीय वित्त मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण

निष्कर्ष

मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है, की महिलाओं और पुरुषों को समान मजदूरी दिए जाने के प्रावधान से मनरेगा ने सरकारी क्षेत्र में व्याप्त परंपरागत वेतन विसंगतियों को समाप्त कर दिया हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से उन्हें अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं जिसके कारण उनके आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आयी हैं। आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं की पकड़ मजबूत हुई है। फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक स्थिति की बेहतर हुई है। परिवार के मामलों में महिलाओं की बात अधिक सुनी जाने लगी है। फलस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

निष्कर्षतः मनरेगा से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा हैं

1. वित्तीय वर्ष 2024—25 में ग्राम रजोली में मनरेगा योजना कार्य के लिए कितना राशि का स्वीकृती हुआ है?

हमारे ग्राम रजोली मे वित्तीय वर्ष 2024-25 मे 20 लाख राशी स्वीकृति दी गई थी

2. सत्र 2024—25 में ग्राम रजोली के कुल कितने मनरेगा योजना में मजदूर कार्य कर रहे है?

ग्राम रजोली मे वर्ष 2024-25 मे कुल 200 मजदूरो ने कार्य किया

3. मनरेगा योजना 2024—25 में महिला/पुरुष श्रमिकों को कितना मजदूरी मिल रहा है?

मनरेगा के तहत ग्राम रजोली में पुरुष - 75 एवं महिलाएँ 125 मजदूरो ने कार्य किया

4. सत्र 2024—25में मनरेगा योजना में कितने महिला कार्य कर रही हैं एवम इसमें महिला मेटो की संख्या कितनी है।
सत्र 2024—25 में मनरेगा योजना में एक परिवार के मजदूर को कितने दिन का कार्य मिल रहा है?

हमारे ग्राम रजोली मे 2024-25 मे 125 महिलाएं कार्य किया जिसमे महिला मेटो की संख्या - 5 है।

5. ग्राम रजोली में मनरेगा योजना में पुरुष की तुलना में महिलाएं की जनसंख्या कितनी है?

ग्राम-रजोली मे में ~~म~~ मनरेगा योजना में 80% महिलाएँ शामिल थी।

स्थान - रजोली
दिनांक - 25/04/25

ह. रोजगार सहायक
(रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत रजोली, ज.पं.गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.))

ह. महिला श्रमिक
किरणबाई
ईश्वरी बाई

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम बोदल में मनरेगा योजना कार्य के लिए कितना राशि का स्वीकृती हुआ है?

ग्राम- बोदल मे वर्ष 2024-25 मे मनरेगा कार्यक्रम मे 16 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी।

2. सत्र 2024–25 में ग्राम बोदल के कुल कितने मनरेगा योजना में मजदूर कार्य कर रहे है?

सत्र 2024-25 मे ग्राम बोदल मे 150 मजदूरो ने कार्य किया।

3. मनरेगा योजना 2024–25 में महिला/पुरुष श्रमिकों को कितना मजदूरी मिल रहा है?

मनरेगा योजना 2024-25 मे ग्राम बोदल मे महिलाएँ 108 एवं पुरुष की संख्या 42 मजदूरो ने कार्य कियागया।

4. सत्र 2024–25में मनरेगा योजना में कितने महिला कार्य कर रही हैं एवम इसमें महिला मेटो की संख्या कितनी है।
सत्र 2024–25 में मनरेगा योजना में एक परिवार के मजदूर को कितने दिन का कार्य मिल रहा है?

ग्राम-बोदल में 2024-25 मे महिला मेटो की संख्या 6 सदस्य एवं एक परिवार के मजदूरो को 100 दिवस का कार्य दिया जाता है

5. ग्राम बोदल में मनरेगा योजना में पुरुष की तुलना में महिलाएं की जनसंख्या कितनी है?

ग्राम बोदल मे पुरुष की तुलना मे 72 % महिलाएँ जनसंख्या थी।

स्थान - बोदल

दिनांक - 30/04/25

ह. रोजगार सहायक

रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत रजोली
ज.पं.गुण्डरदेही,जिला-बालोद

ह. महिला श्रमिक

लक्ष्मी बाई

निष्कर्ष

शोध कार्य के दौरान ग्राम रजोली में सबसे ज्यदा 390 मजदुर कार्य कर रहे है। जिसमे सबसे ज्यादा महिलाओ की संख्या 80–80% है। जिसमे महिलाओ की संख्या पुरुष की तुलना में ज्यादा हैं। जिसमे महिला मेटो की संख्या बहुत कम है। भविष्य में इससे ज्यादा संख्या में महिलाएं सहभागिता देंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ

महात्मा गाँधी मनरेगा समीक्षा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005 परद शोध अध्ययनो संकलन 2006–2012

ग्राम पंचायत – रजोली, बोदल, मोखा रोजगार सहायक ।

मनरेगा सर्वेक्षण क्षेत्र ग्राम रजोली, बोदल, मोखा।

हिन्दू जागरण समाचार पत्रिका ।

दैनिक भास्कर, हरिभूमि समाचार पत्रिका।